रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2500] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2012/पौष 6, 1934
No. 2500] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3010(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (रास्तपसनिप्रा), झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण झारखंड कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. डॉ. गुरदीप सिंह — अध्यक्ष
   आचार्य, खनन पर्यावरण केन्द्र, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग का
   पर्यावरण और विज्ञान विभाग, भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद-826004

2. डॉ. अमित्व बंधोपाध्याय, — सदस्य
   8ए, गणेश बनर्जी लेन, धाकुरिया, पश्चिमी बंगाल,
   कोलकाता-700031

3. प्रमुख, मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यपालक निदेशक, — सदस्य-सचिव
   बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड सरकार ।

2. प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, झारखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में संख्यांकित हैं ।

4. प्राधिकरण, इस अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के लिए गठित झारखंड राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (राविअस), झारखंड की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय लेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को सहायता के लिए झारखंड राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् राविअस झारखंड कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री अश्वनी कुमार सक्सेना, — अध्यक्ष
मुकुंद वाटिका, 33 मानसरोवर एन्कलेव, टुपुदाना, हटिया, रांची-834003, झारखण्ड ।

2. श्री एस. बी. एस. चौहान, — सदस्य
फ्लैट सं. 6021/6, सेक्टर डी-6, वसंत कुंज, नई दिल्ली ।

3. श्री शिव कुमार सिंह — सदस्य
27, रैन बसेरा, आदित्यपुर, जमशेदपुर, झारखंड,

4. डॉ. रिच्छ पाल सिंह सांगू, — सदस्य
499सी/13, आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा,
आगरा-282007 (यूपी) ।

5. आचार्य (डॉ.) मानिक चन्द्र मेहता, — सदस्य
प्राणिविज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय,
रांची-834008 ।

6. डॉ. शत्रुंज्य कुमार सिंह, — सदस्य
क्वार्टर सं.-103, शंकर अपार्टमेंट, बोरिंग रोड,
पटना-800001 ।

7. सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, — सचिव
झारखंड ।

6. राविअस झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राविअस, झारखंड, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हैं।

8. राविअस, झारखंड, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. झारखंड राज्य सरकार, प्राधिकरण झारखंड और राविअस, झारखंड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राविअस झारखंड के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता झारखंड राज्य सरकार के नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे।

[सं. जे-11013/75/2008-आईए. II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2012

S.O. 3010(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jharkhand (hereinafter referred to as the Authority, Jharkhand), comprising of the following Members, namely:—

1. Dr. Gurdeep Singh —Chairman
Professor, Centre of Mining Environment,
Department of Environmental Science and Engineering,
Indian School of Mines, Dhanbad-826004.

2. Dr. Amitava Bandyopadhyay — Member
8A, Ganesh Banerjee Lane, Dhakuria,
West Bengal, Kolkata-700031.

3. Principal Chief Conservator of Forests-cum-Executive Director, — Member-Secretary
Waste Land Development Board, Government of Jharkhand.

2. The Chairman and Members of the Authority, Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Jharkhand shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority, Jharkhand shall base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Jharkhand by this notification.

5. To assist the Authority, Jharkhand, the Central Government in consultation with the State Government of Jharkhand, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Jharkhand (hereinafter referred to as the SEAC, Jharkhand) comprising of the following Chariman and Members, namely :—

1. Shri Ashwani Kumar Saxena — Chairman
Mukund Vatika, 33 Mansarovar Enclave,
Tupudana, Hatia, Ranchi -834003, Jharkhand.

2. Shri S.B.S. Chauhan, — Member
Flat No. 6021/6, Sector D-6, Vasant Kunj, New Delhi.

3. Shri Shiv Kumar Singh — Member
27, Rain Basera, Adityapur, Jamshedpur, Jharkhand.

4. Dr. Richh Pal Singh Sangu — Member
499C/13, Avas Vikas Colony Sikandra, Agra-282007 (UP).

5. Prof. (Dr.) Manik Chandra Mahata, — Member
Department of Zoology, Ranchi University, Ranchi-834008.

6. Dr. Shatrunjay Kumar Singh — Member
Quarter No.-103, Shankar Apartment, Boring Road, Patna-800001.

7. Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, Jharkhand. — Secretary

6. The Chairman and Members of the SEAC, Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Jharkhand shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Jharkhand shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Jharkhand shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Jharkhand and the SEAC, Jharkhand and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Jharkhand and the Chairman and Members of the SEAC, Jharkhand shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Jharkhand.

[No. J-11013/75/2008-IA.II(I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.